



दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

आवेदकों के लिए सामान्य निदेश

1. विज्ञापित पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा विज्ञापन की समाप्ति तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
2. निर्धारित अवधि/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित आवेदनों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
3. भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्व-प्रमाणीकरण प्रावधानों को अपनाने के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय आवेदकों द्वारा विधिवत् स्व-प्रमाणित द्वारा प्रस्तुत सूचना / दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों को पूरी तरह से संसाधित करेगा। यदि सूचना / दस्तावेज में चूक अथवा गलती पायी जाती है तो एकमात्र जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व आवेदक की होगी।

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले आवेदक को फोटो आईडी के साथ मूल रूप से सभी प्रशंसापत्र / प्रमाणपत्रों के साथ रिपोर्ट करना होगा। उन्हें साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय के साथ जमा होने के लिए इन प्रशंसापत्रों / प्रमाणपत्रों की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि लानी होगी।

4. आवेदकों के पास आवेदन की समाप्ति तिथि तक निर्धारित योग्यता और अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा, केवल न्यूनतम योग्यता अथवा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार नहीं है। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए संक्षिप्त सूची के लिए अधिक कड़े मानदंड लागू किए जा सकते हैं।

5. सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (बोर्ड / स्वायत्त निकाय समेत) में कार्यरत आवेदकों को उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा

उनसे साक्षात्कार के समय इंटिग्रीटी सर्टिफिकेट (Integrity Certificate) / सतर्कता एवं कैडर क्लियरेंस के साथ 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जमा करने का अनुरोध किया जाता है, अगर पहले जमा नहीं किया गया था।

6. (ए) विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यक्तिगत पत्राचार अथवा पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(बी) विश्वविद्यालय से सभी पत्राचार आवेदक द्वारा प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

7. किसी भी रूप में कैनवासिंग को अयोग्यता माना जाएगा।

8. किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

9. आवेदकों को आवेदन और स्वयं प्रमाणित प्रतियां / प्रशंसापत्र जमा करते समय झूठी, छेड़छाड़, बेइमानी की हुई सामग्री/जानकारी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

10. स्क्रीनिंग / चयन समिति की सिफारिशों पर असाधारण मामलों में किसी भी योग्यता अथवा अनुभव में छूट दी जा सकती है।

11. सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (बोर्ड / स्वायत्त निकाय समेत) में काम कर रहे आवेदकों के लिए, पिछले 5 वर्षों के लिए एसीआर / एपीएआर विधिवत प्रमाणित संबंधित नियोक्ता द्वारा कुलसचिव को संबोधित सीलबंद गोपनीय कवर में भेजा जाना चाहिए।

12. विश्वविद्यालय नियुक्ति के समय या सेवा के कार्यकाल के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती दस्तावेजों या दस्तावेजों की पुष्टि करेगा। यदि, यह पता चला है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गलत हैं या आवेदक ने प्रासंगिक जानकारी को छिपाया है, तो आवेदक की सेवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई किसी भी अन्य कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा।

13. विश्वविद्यालय विज्ञापित पद को नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. चयन की प्रक्रिया में हुई किसी गलती संदर्भ में, विश्वविद्यालय आवेदक को किए गए किसी भी पत्राचार को संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए आवेदकों को किसी भी प्रकार के भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि वेबसाइट पर अपलोड किए गए विज्ञापन के अनुसार है। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कुलसचिव